राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 443/2024
जगदीश प्रसाद

–अपीलार्थी

बनाम

1. शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निबन्धक, राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर।
3. जिला कलेक्टर, सीकर।
4. तहसीलदार, तहसील दांता रामगढ, जिला सीकर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 27.02.2024
उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण), अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी ने इस अपील में आलोच्य स्थानांतरण आदेश दिनांक 22.02.2024 को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण पटवार मण्डल खाटूश्यामजी जिला सीकर से ''अन्यत्र स्थानांतरण जैसे धोलपुर'' किया जाना अंकित किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी का स्थानांतरण किये जाने में विवेक का प्रयोग नहीं किया गया है। अपीलार्थी का स्थानांतरण किसी स्थान विशेष पर नहीं कर आलोच्य स्थानांतरण आदेश में ''अन्यत्र स्थानांतरण जैसे धोलपुर'' दर्शाया गया है, जो किसी पटवार मण्डल या वृत्त का स्थान नहीं दर्शाता है। ऐसे में अपीलार्थी का स्थानांतरण आदेश बिना मस्तिष्क का प्रयोग किये जारी किया गया है।
3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी का स्थानांतरण धोलपुर किया गया है, जो स्थानांतरण आदेश से स्पष्ट है।
4. हमनें दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया।

5. माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर के प्रकरण एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 544/2021 राजपाल सिंह बनाम राजस्थान राज्य में पारित आदेश दिनांक 18.03.2021 में निम्न प्रकार से मत व्यक्त किया गया हैः–

> "27. In considered opinion of this Court, the fact that the petitioner has been shunted from Patwar Mandal Akadali, Tehsil Pachpadra, District Barmer to District Hanumangarh, without indicating Patwar Circle or even Tehsil is enough to show lack of application of mind. It cannot be inferred that the competent authority was aware of the present vacant position in District Hanumangarh and that too the requirement of petitioner's efficiency in such Patwar Circle, for which his transfer was warranted.
>
> 28. If the competent authority has not decided or was not aware, where the concerned Patwari is to be transferred, it cannot be presumed that the competent authority has applied its mind towards the vacant position, falling vacant on account of exigencies mentioned in clause (ii) of Rule 9 of the Rules of 1957. Nor can he be presumed to have ascertained that interest of efficiency of work required that petitioner should be transferred to a far flung place at Hanumangarh."

6. अपीलार्थी के स्थानांतरण आदेश में न तो पटवार मण्डल अंकित किया गया है और न ही वृत्त अंकित किया गया है। इसके अलावा यह भी प्रकट हुआ है कि अपीलार्थी के स्थानांतरण आदेश में जिस स्थान में अपीलार्थी का स्थानांतरण किया जाना अंकित किया है, वह स्थान ''अन्यत्र स्थानांतरण जैसे धोलपुर'' अंकित किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी का स्थानांतरण किये जाने में मस्तिष्क का प्रयोग नहीं किया गया है।

7. प्रकरण के उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए अपील स्वीकार की जाती है एवं अपीलार्थी का आलोच्य स्थानांतरण आदेश 22.02.2024 (अनुलग्नक–1) अपीलार्थी की हद तक निरस्त किया जाता है। यह भी आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी को वहीं कार्यरत रखा जावें, जहां वह चुनौती आदेश पारित किये जाने से पूर्व कार्यरत था। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि प्रत्यर्थी विभाग अपीलार्थी का नियमानुसार नये सिरे से स्थानांतरण करने के लिए स्वतंत्र रहेगा।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)